प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा।
2. निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी एवं बरेली।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांक :– 9फ/मा0स्वा0/2023–24/664 लखनऊ/दिनांक–25/10/2023

विषय :– मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत ''मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी'' का अक्षरशः अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री भरत लाल, महासचिव, मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–आर––18/6/2023–पीआरपीपी(आरयू–3) दिनांक–10/10/202023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**(छायाप्रति संलग्न)** जिसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी निर्गत करते हुये मा0 आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि परामर्शी में की गई सिफारिशों को अक्षरशः लागू करते हुये परामर्शी के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट दो माह में मा0 आयोग को प्रेषित किया जायें।

इस क्रम में कृपया महानिदेशालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–9फ/मा0स्वा0/2022–23/379, दिनांक–13/06/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरः अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

मा0 आयोग द्वारा निर्गत ''मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी'' के अनुपालन में कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरशः अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही निम्नलिखित प्राविधानों पर त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. **धारा 20–** के अनुसार प्रत्येक मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार है एवं क्रूर, अमानवीय और निम्न श्रेणी के उपचार से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। **धारा–20(झ)** के अनुसार **मानसिक रूग्ण व्यक्तियों का मुंडन अनिवार्य नही होगा।**
2. **धारा–73** के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में एक मानसिक स्वास्थ्य पुर्नविलोकन बोर्ड की स्थापना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सामाजिक कलंक, भेदभाव एवं मानसिक रोगों एवं उपचार विषयक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें, जिसमें **मनकक्ष, मनोरोग ओ0पी0डी0 कक्ष संख्या, हेल्पलाइन एवं टेलीमानस नंबर** इत्यादि का प्रचार किया जायें। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0.मद में निर्गत धनराशि का नियमानुसार एवं समर्यान्तर्गत उपभोग किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा नियमानुसार जेल/किशोर/किशोरी गृह का भ्रमण किया जायें एवं अधिनियम की **धारा–103** का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
5. मनोरोग ओ0पी0डी0 सुविधाओं हेतु वृद्धजनों/दिव्यांगजनों/बच्चों हेतु समुचित प्रबंध किया जाये।
6. प्रतिष्ठानों में आपातकालीन वार्ड इकाईयों में अधिनियम, 2017 की धारा–21 के अनुपालन में अनिवार्य आवश्यक उपकरण और औषधियॉ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. गैर मनोरोग चिकित्सकों, पैरामेडिकल, उपचारिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कौशल उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाये एवं समय–समय पर राज्य स्तर पर कराये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से नामित किया जाये।
8. डिस्चार्ज हेतु फिट घोषित व्यक्ति को एक दिन के लिए भी प्रतिष्ठानों में नही रखा जाना चाहिए।
9. प्रतिष्ठानों में भर्ती रोगियों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लिए जायें एवं रोगियों के पुर्नवास एवं मनोरंजन के समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।
10. किसी भी चिकित्सालय, संस्थान, आश्रय गृह, हाफवे होम, पुर्ववास गृह आदि में होने वाली सभी मृत्यु की सूचना 24 घंटे में स्थानीय पुलिस एवं 48 घंटे के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मा0 आयोग द्वारा निर्गत ''मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी'' एवं मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 की समस्त धाराओं को संज्ञान में लेते हुये सर्वसंबंधित को अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करने एवं मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के अधिकारों का सरंक्षण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही मा0 आयोग द्वारा निर्गत परामर्शी की सिफारिशों को अक्षरशः लागू करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(दीपा त्यागी)
महानिदेशक

पृष्ठांकन सं0–9फ/मा0स्वा0/2023–24/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार भवन, सी–ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली। पिन कोड–110023
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सी0पी0कश्यप)
निदेशक(स्वास्थ्य)

मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकरण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा।
2. निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी एवं बरेली।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उ0प्र0।

पत्रांक :– 9फ/मा0स्वा0/2023–24/ लखनऊ/दिनांक–26/10/2023

विषय :– मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्गत ''मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी'' का अक्षरशः अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदया/महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री भरत लाल, महासचिव, मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–आर––18/6/2023–पीआरपीपी(आरयू–3) दिनांक–10/10/202023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।**(छायाप्रति संलग्न)** जिसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी निर्गत करते हुये मा0 आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि परामर्शी में की गई सिफारिशों को अक्षरशः लागू करते हुये परामर्शी के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट दो माह में मा0 आयोग को प्रेषित किया जायें।

इस क्रम में कृपया महानिदेशालय द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या–9फ/मा0स्वा0/2022–23/379, दिनांक–13/06/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरः अनुपालन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

मा0 आयोग द्वारा निर्गत ''मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी'' के अनुपालन में कृपया मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 का अक्षरशः अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही निम्नलिखित प्राविधानों पर त्वरित कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

1. **धारा 20–** के अनुसार प्रत्येक मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्ति को गरिमा के साथ रहने का अधिकार है एवं क्रूर, अमानवीय और निम्न श्रेणी के उपचार से संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। **धारा–20(झ)** के अनुसार **मानसिक रूग्ण व्यक्तियों का मुंडन अनिवार्य नही होगा।**
2. **धारा–73** के अनुपालन में प्रत्येक जनपद में एक मानसिक, स्वास्थ्य पुर्नविलोकन बोर्ड की स्थापना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सामाजिक कलंक, भेदभाव एवं मानसिक रोगों एवं उपचार विषयक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें, जिसमें **मनकक्ष, मनोरोग ओ0पी0डी0 कक्ष संख्या, हेल्पलाइन एवं टेलीमानस नंबर** इत्यादि का प्रचार किया जायें। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0ई0सी0.मद में निर्गत धनराशि का नियमानुसार एवं समर्यान्तर्गत उपभोग किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम द्वारा नियमानुसार जेल/किशोर/किशोरी गृह का भ्रमण किया जायें एवं अधिनियम की **धारा–103** का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
5. मनोरोग ओ0पी0डी0 सुविधाओं हेतु वृद्धजनों/दिव्यांगजनों/बच्चों हेतु समुचित प्रबंध किया जाये।
6. प्रतिष्ठानों में आपातकालीन वार्ड इकाईयों में अधिनियम, 2017 की धारा–21 के अनुपालन में अनिवार्य आवश्यक उपकरण और औषधियॉ उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7. गैर मनोरोग चिकित्सकों, पैरामेडिकल, उपचारिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कौशल उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाये एवं समय–समय पर राज्य स्तर पर कराये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों को अनिवार्य रूप से नामित किया जाये।
8. डिस्चार्ज हेतु फिट घोषित व्यक्ति को एक दिन के लिए भी प्रतिष्ठानों में नही रखा जाना चाहिए।
9. प्रतिष्ठानों में भर्ती रोगियों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवा लिए जायें एवं रोगियों के पुर्नवास एवं मनोरंजन के समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।
10. किसी भी चिकित्सालय, संस्थान, आश्रय गृह, हाफवे होम, पुर्ववास गृह आदि में होने वाली सभी मृत्यु की सूचना 24 घंटे में स्थानीय पुलिस एवं 48 घंटे के अन्दर मा0 आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया मा0 आयोग द्वारा निर्गत ''मानसिक स्वास्थ्य परामर्शी'' एवं मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 की समस्त धाराओं को संज्ञान में लेते हुये सर्वसंबंधित को अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन करने एवं मानसिक रूग्ण व्यक्तियों के अधिकारों का सरंक्षण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। साथ ही मा0 आयोग द्वारा निर्गत परामर्शी की सिफारिशों को अक्षरशः लागू करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(दीपा त्यागी)
महानिदेशक

पृष्ठांकन सं0–9फ/मा0स्वा0/2023–24/665–670 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को ईमेल द्वारा सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्रीमान महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार भवन, सी–ब्लाक, जी0पी0ओ0 काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली। पिन कोड–110023
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिनियम के अनुपालन कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

15/10/2023

(सी0पी0कश्यप)
निदेशक(स्वास्थ्य)